(29)

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी–

सुखराम खोखर
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
60/2019/प्रा.पत्र/2019	13.09.2019	05.12.2019

मदन लाल गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

.... प्रार्थी

बनाम

1– श्री नानक राम सिन्धी पुत्र केवल राम सिन्धी एफ.बी.ओ. मैसर्स पंकज सोडा एण्ड ज्यूस सेन्टर सदर बाजार बावडी बालाजी के पास देवली जिला टोंक निवासी तेली धर्मशाला के पीछे वार्ड नं. 12 तेली मोहल्ला देवली जिला टोंक राज0

2– मैसर्स पंकज सोडा एण्ड ज्यूस सेन्टर सदर बाजार बावडी बालाजी के पास देवली जिला टोंक

.... अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एफ.एस.एस.एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित–

1–प्रार्थी की ओर से श्री मदन लाल गुर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।

2–अप्रार्थी स्वंय उपस्थित

:–निर्णय–: दिनांक 05.12.2019

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 26.04.2019 को समय 2.29 पी.एम पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स पंकज सोडा एण्ड ज्यूस सेन्टर सदर बाजार बावडी बालाजी के पास देवली जिला टोंक पर पहुंचां। एफ.बी.ओ. की हैसियत से श्री नानक राम सिन्धी पुत्र केवल राम सिन्धी एफ.बी.ओ. मैसर्स पंकज सोडा एण्ड ज्यूस सेन्टर सदर बाजार बावडी बालाजी के पास देवली जिला टोंक निवासी तेली धर्मशाला के पीछे वार्ड नं. 12 तेली मोहल्ला देवली जिला टोंक राज0खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया, पूछने पर प्रतिष्ठान का मालिक होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र होना जाहिर किया।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान मे **आईसक्रीम खुली (Lce Cream Coose)** रखा हुआ था, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर. एफ.बी.ओ. श्री नानक राम सिन्धी को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता नानक राम सिन्धी एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

आवेदक द्वारा दुकान मे फ्रीजर मे लगभग 5 किलोग्राम प्लास्टिक की बाल्टी **आईसक्रीम खुली (Lce Cream Coose)**रखे हुये मे से पूर्णतया होमोजिनियस कर,अच्छे से हिला–मिलाकर 1200 ग्राम को बॉट मापक से तुलवाकर एक साफ व सुखे प्लास्टिक के जग मे वास्ते आम जनता को विक्रय हेतु रखे हुये मे से वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक
981

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

Scanned by CamScanner

बाजार भाव के समान कीमत एफ.बी.ओ. श्री नानक राम सिन्धी को रू0 85/–अक्षरे पिचयासी रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा **आईसक्रीम खुली (Lce Cream Coose)** को सामानय ताप पर 30–35 मिनट तक पिघलने तक इतंजार किया और 300–300 ग्राम तुलवाकर अलग–अलग चार साफ व सूखे प्लास्टिक के डिब्बो मे भरकर बतौर परिरक्षित 40 प्रतिशत वाली फार्मेलिन की 24–24 बूदें डालकर व लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी.ओ.कोड एवं क्रमांक I–2183 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारो नमूना भागो को अलग–अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी. ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I–2183 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर एफ.बी.ओ. नानक राम सिन्धी के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./19/1782 दिनांक 17.06.2019 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक खाध सुरक्षा एंव मानक प्रयोगशाला जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/1167/एक्ट/2019/569 दिनांक 16.05.2019 एवं निदेशक, रेफरल फूड लेब मैसूर अंतिम जांच रिपोर्ट दिनांक 22.08.2019 अनुसार नानक राम सिन्धी से वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया **आईसक्रीम खुली (Lce Cream Coose)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 3(i)(zx) के अनुसार **अवमानक (Sub-Standard)** का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का **आईसक्रीम खुली (Lce Cream Coose)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा अपना जुर्म स्वीकार किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **आईसक्रीम खुली (Lce Cream Coose)**का विक्रय कर रहा था वह जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

(मोहर: अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक)

Scanned by CamScanner

(31)

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **आईसक्रीम खुली (Lce Cream Coose)**का नमूना जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 3(i)(zx) 51 अप्रार्थी श्री नानक राम सिन्धी पुत्र केवल राम सिन्धी एफ.बी.ओ. मैसर्स पंकज सोडा एण्ड ज्यूस सेन्टर सदर बाजार बावडी बालाजी के पास देवली जिला टोंक निवासी तेली धर्मशाला के पीछे वार्ड नं. 12 तेली मोहल्ला देवली जिला टोंक राज0 पर शास्ति 10,000(अक्षरे दस हजार रू0)आरोपित की जाती है।अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 05.12.2019 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 05.12.2019 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय टोंक

(सुखराम खोखर)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukh Ram Khokher
Date: 2020.01.06 16:43:28 IST
Reason: SelfAttested
Location: